प्रपत्र

# प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०12

1. सेवा/सेवा/संवर्ग का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है वेतन उपायुक्त सहायक ..... 2. वर्तमान धारित पद वास्तु पालक

3. वर्तमान वेतन ..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख .....

| जिला, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है | संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे | | * वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | संपत्ति से वार्षिक आय | अभिमुक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गृह तथा अन्य भवन | भूमि | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| कुछ नहीं | कुछ नहीं | कुछ नहीं | — | — | — | — | — |

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसी दशाओं में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए। इसमें अलंकारातीत पटटे भी सम्मिलित हैं।

नोट :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 19(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें यह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित अचल सम्पत्ति के बारे में है।

हस्ताक्षर .....

नाम (वेतन उपायुक्त सहायक)

पद वास्तु पालक

नगरीय प्रशासन एवं विकास